(10

संख्या फा० 3(1)-पेंशन एकक/85
भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार
और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6/5 जून, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा पेंशन योग्य सेवा में आने के लिए नया विकल्प देना।

जैसा कि रक्षा मंत्रालय आदि को ज्ञात है, 31 मार्च, 1985 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के एक उपाय के रूप में, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के प्रयोजन से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 568 पाइंटों के स्तर तक मंजूर सम्पूर्ण महंगाई भत्ते को, सरकार ने वेतन के रूप में मानने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पेंशन की रू0 1500/- प्रति मास की मौजूदा अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा को भी रू0 36,000/- से बढ़ाकर रू0 50,000/- कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने अपने दिनांक 29-4-85 तथा 30-4-85 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा0 1(2)-ई-5/84 के अधीन आवश्यक आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हु राष्ट्रपति अब यह निर्णय करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों ने अंशदायी भविष्य निधि(भारत) 1962 के नियम 38 के अनुसार अथवा इस संबंध में जारी किए गए किन्हीं अन्य आदेशों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं को बनाए रखा है उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 में बताए अनुसार पेंशन योजना के लिए विकल्प देने का एक और अवसर प्रदान किया जाए। यह विकल्प ऐसे सरकारी कर्मचारी दे सकते हैं जो 31 मार्च, 1985 को सेवा में थे तथा उक्त तारीख को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह विकल्प इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से छः मास के भीतर दिया जाना चाहिए।
एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा:

2- ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले जो 31-3-1985 को सेवा में थे किन्तु इन आदेशों के जारी किए जाने से पहले जिनका देहान्त हो गया है अथवा जिनका निर्धारित तारीख तक विकल्प देने से पहले देहान्त हो जाता है उनके परिवारों को पूर्ववर्ती पैराग्राफ में यथानिर्दिष्ट विकल्प

.....2/-

देने की अनुमति दी जाए परन्तु शर्त यह है कि इस आशय का अनुरोध अंशदाता द्वारा बाकायदा नामित व्यक्तियों द्वारा अथवा नामांकन के अभाव में, अंशदायी भविष्य निधि नियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सभी सदस्यों द्वारा विशिष्ट रूप से किया जाता है । यदि परिवार में छोटी आयु के बच्चे हैं तो उनकी ओर से उनके संरक्षक द्वारा अनुरोध किया जा सकता है । यदि ऐसे मामलों में अंशदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान लाभग्राहियों को जो पेंशन योजना के अधीन अनुज्ञेय सुविधाओं के लिए विशिष्ट अनुरोध करते हैं पहले ही कर दिया गया है तो पहले भुगतान किए गए सरकारी अंशदान तथा उस पर देय ब्याज का समायोजन मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान अथवा अन्य उपदान में से कर दिया जाना चाहिए तथा यदि फिर भी कुछ राशि बची रहती है तो उनके अनुरोध पर सहमत होने से पहले, उनसे उसकी वसूली कर लेनी चाहिए ।

3- जिस अधिकारी ने निर्धारित अवधि के दौरान कोई विकल्प नहीं दिया है अथवा बिना विकल्प प्रदान किए सेवा छोड़ दी है अथवा जिसका विकल्प अधूरा अथवा अस्पष्ट है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने विद्यमान अंशदायी भविष्य निधि में बने रहने का विकल्प दिया है ।

4- उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसने कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1 के अनुसार, पेंशन योजना से शासित होने का विकल्प दिया है, अंशदायी भविष्य निधि में बकाया सरकारी अंशदान तथा उस पर देय ब्याज को केंद्रीय राजस्व (सिविल) में जमा कर दिया जाएगा । फंड में सरकारी कर्मचारी का अंशदान तथा उस पर ब्याज को उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में जिसे खोलने के लिए उसे कहा जाएगा स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा जिसमें वह उसके पश्चात् उक्त फंड के नियमों के अनुसार अंशदान करेगा ।

5- ऐसे किसी अधिकारी द्वारा की गई पिछली सेवा को पेंशनदेय प्रतिष्ठान में प्रारम्भ से ही की गई सेवा के रूप माना जाएगा तथा उसकी सेवा को पेंशन के लिए समय समय पर लागू केन्द्रीयसिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 में विहित तरीके से तथा सीमा तक अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा ।

6- सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को, उन व्यक्तियों सहित जो छुट्टी पर हैं अथवा बाह्य सेवा में हैं, अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें । इन अनुदेशों को तत्काल कड़ाई से अनुपालन के लिए मंत्रालयों/विभागों के अधीन सभी सम्बद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में भी लाया जाए ।

.....3/-

7- जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(एस0आर0 अहीर)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार ।